न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 637/2026

सिवान महिला थाना कांड सं0–7/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2),115(2),351(2),352,64,85,3(5),बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मो0 अमजद..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– **श्री संजय प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

09.04.2026

आवेदक/अभियुक्त मो0 अमजद की ओर से सिवान महिला थाना कांड सं0–7/2026, अंतर्गत धारा–126(2),115(2),351(2),352,64,85,3(5),बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका रूखसार खातुन के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका की शादी दिनांक 12.06.2025 को मोहम्मद अमजद के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी, शादी के समय सूचिका के माता–पिता अपने सामर्थ्य अनुसार आठ लाख रूपया नगद, सोना–चॉदी का जेवरात, कीमती कपड़ा, जरूरत का सारा सामान जिसकी कुल कीमत सात लाख रूपया देकर उसे विदा किए। सूचिका के ससुराल वाले उसे कुछ दिन तक अच्छे से रखे। उसके बाद उसके पति मोहम्मद अमजद, ससुर मो0 जावेद, सास जोहरा बीबी, देवर मो0 रिजवान ने सूचिका से वैगनआर कार व पांच लाख रूपया की मॉग करने लगे। दहेज के लिए उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। सूचिका के देवर मोहम्मद रिजवान उसके साथ बुरी नियत से रहने लगा एवं सूचिका के साथ कई बार छेड़खानी करने की कोशिश करने लगा। सूचिका अपने देवर का शिकायत अपने पति से करती तो उसके पति व ससुराल वाले उसे ही उल्टा गाली देने लगते और मारने–पीटने लगते। सूचिका के मायके वालों द्वारा उनलोगों की मांग पूरी नहीं होने पर सूचिका के ससुराल वाले आए दिन उसे मारते–पीटते व घर से निकालने लगते। सूचिका के पति उसे दहेज के लिए छोड़ने की धमकी देने लगे। दिनांक 27.08.2025 को सूचिका के देवर मो0 रिजवान उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तो सूचिका बेहोस हो गई तो उसका इलाज वे लोग मेट्र हॉस्पिटल सिवान में कराए। उसके बाद इस मामले को दबाने के लिए उसके पति हैदराबाद काम करते हैं, वह हैदराबाद लेकर चले गये और वहॉ जाने के बाद सूचिका पर अत्याचार करते तथा मोबाइल छीन लेते ताकि सूचिका किसी को कुछ बता न सके। सूचिका के पति उसे हैदराबाद से गॉव लेकर आए तथा यहॉ आने के बाद पति एवं ससुराल वाले उसे घर से निकालने लगे और उसे रखने से इंकार करने लगे तो सूचिका अपने मायके वालों को सारी घटना

लगातार
09.04.2026

बताई तो उसके मायके वाले उसके ससुराल से उसे लेकर मायके चले गए। जहॉ वह किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि के व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि प्राथमिकी में जो घटना बताई जा रही है वैसी कोई घटना घटी ही नहीं। सूचिका दिनांक 17.06.2025 को अपने ससुराल से चली गई थी, फिर वह ससुराल नहीं लौटी। सूचिका के पति द्वारा आर.सी.आर. मुकद्मा 327/2025 दिनांक 16.12.2025 को दाखिल किया गया है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सूचिका से दहेज के लिए उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने तथा दहेज की मांग पुरी नहीं होने पर मारपीट कर घर से निकालने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद सिवान महिला थाना कांड सं0 07/2025 आवेदक/अभियुक्त के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 351(2), 352, 64, 85, 3(5) एवं 3/4 डी.पी. एक्ट के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी जलील हुसैन ने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं होने की बात बताई है। (कांड दैनिकी की कंडिका 4 में वर्णित)। कांड दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तो के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद अमजद को इस आदेश से चार सप्ताह के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान में आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तारी की अवस्था में इनकी ओर से_विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–

1. प्रस्तुत मामले में जमानतदार आवेदक/अभियुक्त का रक्त संबंधी होगा, जो आवेदक/अभियुक्त एवं पीड़िता के मध्य संबंध को सामान्य बनाने का पूरा प्रयास करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त पीड़िता को किसी भी प्रकार से भविष्य में प्रताड़ित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त पीड़िता के भरण–पोषण, दवा–इलाज का पूरा व्यवस्था करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त को उसके मायके से जाकर विदा करवाकर लायेगा और उसे सम्मान

लगातार
09.04.2026

के साथ रखेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के क्रम में विचारण न्यायालय में बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
यदि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करता है तो उसके बंध–पत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता विद्वान विचारण न्यायालय को होगी।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सिवान।

—